UPAD010034862021

न्यायालय – अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट), प्रयागराज।

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–598/2021 (कं.नं.–940/2021)

सरकार बनाम शिव प्रताप

अपराध संख्या–295/2018
धारा–138(I)(b) भारतीय विद्युत अधिनियम
थाना–मउआइमा, प्रयागराज।

01.09.2026–

1. पत्रावली पेश हुई।

2. अभियुक्त शिव प्रताप की तरफ से पूर्व में प्रार्थनापत्र मय शमन शुल्क रसीद एवं शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि मुकदमा, धारा 152 भारतीय विद्युत अधिनियम के तहत शमन शुल्क जमा किये जाने के आधार पर निस्तारित किया जाये। अभियुक्त ने यह भी सशपथ कथन किया कि उसने पूर्व में इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई मामला शमन नहीं कराया है।

3. विद्युत विभाग के विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश चन्द्र गोसाई द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर यह अंकित किया गया है कि अभियुक्त ने विद्युत विभाग में बकाया बिल जमा करके कनेक्शन पी.डी. करा लिया तथा दिनांक 04.11.2023 को शमन शुल्क 2,000/–रूपया तथा दिनांक 10.07.2026 को 6,000/–रू शमन शुल्क कुल 8,000/–शमन शुल्क तथा 4,620/–निर्धारण जमा किया जा चुका है, जिसकी सत्यापित रसीद पत्रावली में संलग्न है। अभियुक्त द्वारा पूर्व में विद्युत अधिनियम के अंतर्गत अपराध का शमन नहीं कराया गया है। अपराध का शमन किये जाने में कोई आपत्ति नही है।

4. भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 152 के अन्तर्गत जहाँ उपभोक्ता एवं विद्युत विभाग के मध्य सुलह समझौता हो गया है और मामले का शमन कर दिया गया है, तो ऐसे शमन का प्रभाव अभियुक्तगण की दोषमुक्ति होगा। भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138(I)(b) का अपराध एक शमनीय अपराध है। भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 152 के अन्तर्गत विद्युत विभाग ने अभियुक्त के इस अपराध का शमन कर दिया है। विद्युत अधिनियम की धारा 152 यह भी उपबन्धित करता है कि जहाँ इस निमित्त सशक्त अधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अनुसार शमन शुल्क स्वीकार कर लिया गया है तो इसका प्रभाव दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 300 के अन्तर्गत दोषमुक्ति समझा जायेगा।

5. प्रस्तुत मामले में शमन शुल्क अदा कर दिया गया है तथा अपराध का शमन कर दिया गया है। अतः भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 152 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अपराध को प्रशमनित मानते हुये अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त शिव प्रताप, विशेष सत्र परीक्षण सं0–598/2021, मुकदमा अपराध संख्या–295/2018, थाना–मउआइमा, जनपद–प्रयागराज के मामले में आरोप अन्तर्गत धारा–138(I)(b) भारतीय विद्युत अधिनियम 2003, से दोषमुक्त किया जाता है।

दिनांक– 01.09.2026

(अभय प्रताप सिंह–I)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट),
प्रयागराज।
J.O.CODE– UP6315

Digitally signed by ABHAY PRATAP SINGH
Date: 2026.09.01 12:04:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court